Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–आवंटन(स्था0 –0101)–89 / 2019......1009.........

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी,
पूर्णियाँ, सहरसा, सिवान, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर
प्राचार्य,
राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान,
बोधगया।

पटना, दिनांक : 06-03-2020

विषय :– मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व –उप मुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 102 – सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उप शीर्ष – 0101 – सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में निधि का आवंटन।

प्रसंग :– CFMS Allotment Order No. ..11155....... Date ..07/03/2020..

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में आपके कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि मद में 9662392/– (छियानवें लाख बासठ हजार तीन सौ बानवें) रूपये मात्र का आवंटन वित्तीय वर्ष 2019–20 में होने वाले व्यय हेतु की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3 अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या – 40 एवं विपत्र कोड **40 – 2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विहित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित किया जाए।

6. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।

10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्‌मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

अनुलग्नक :– 'क' एवं CFMS Allotment Order No. ………………. Date ………………………

विश्वासभाजन

6/3/20

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(स्था0 –0101)–89 / 2019..1009 **पटना, दिनांक** 06-03-2020

प्रतिलिपि :– (अनुलग्नक सहित) महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(स्था0 –0101)–89 / 2019..1009 **पटना, दिनांक** 06-03-2020

प्रतिलिपि :– (अनुलग्नक सहित) सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(स्था0 –0101)–89 / 2019..1009 **पटना, दिनांक** 06-03-2020

प्रतिलिपि :– (अनुलग्नक सहित) संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(स्था0 –0101)–89 / 2019..1009 **पटना, दिनांक** 06-03-2020

प्रतिलिपि :– (अनुलग्नक सहित) सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

अनुलग्नक 'क'

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व – उपमुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 102 – सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उपशीर्ष – 0101 – सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में निधि का आवंटन :–

क्रं0 सं0	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	01.01 वेतन	01.03 जीवन यापन भत्ता	01.04 मकान किराया भत्ता	01.05 परिवहन भत्ता	01.06 चिकित्सा भत्ता	01. 07 अन्य भत्ता	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पूर्णियाँ	300000	70000	20000	–	10000	–	**400000**
2	सहरसा	900000	200000	55000	–	15000	–	**1170000**
3	सिवान	472650	80351	37812	–	11000	–	**601813**
4	दरंभगा	617000	46390	49360	14540	63000	–	**790290**
5	खगड़िया	1744931	–	–	–	–	–	**1744931**
6	भागलपुर	640507	108400	36053	4298	30167	3888	**823313**
		3070445	976010	40903	–	9687	–	**4097045**
7	राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	35000	–	–	–	–	–	**35000**
	कुल योग :–	**7780533**	**1481151**	**239128**	**18838**	**138854**	**3888**	**9662392**

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना